अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा

मेमोरन्डम आफ एसोसियेशन (संगठन ज्ञापन पत्र)

उद्देश्य :-

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य चौरसिया समाज के विभिन्न वर्ग तथा उप वर्ग यथाचौरसिया, चौरसिया, चौऋषि, चीऋषिया, तम्बोली, कुमरावत, बरई बारजीबी, भारद्वाज, जयसवाल, कटिहार, थवाइत, नागवंशी, वारी, सूर्यवंशी, पुरविया, मोदी, मोहाविया, भरा धिया आदि विभिन्न उपाधियों तथा उप जातियो से परस्पर संपर्क, सहयोग, भाईचारे की भावना के विकास तथा उसकी सर्वागीण उन्नति करना होगा।

1. संस्था का नाम :-

इस संस्था (संगठन) का नाम अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा होगा।

2. पंजीकृत कार्यालय :-

इसका पंजीकृत कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही रहेगा, और वर्तमान ई-52, न्यू मुल्तान नगर दिल्ली-56, होगा।

3. उद्देश्य तथा कार्य :-

1. समाज के विभिन्न उपवर्गो का परस्पर संपर्क की दृष्टि से बैठकें, सेमीनार, भाषण, वाद-विवाद प्रतिप्रीमिता में आयोजित करना।

Scanned with CamScanner

2. एक अथवा अनेक भाषाओं साप्ताहिक, मासिक तथा अन्य सामयिक पत्र-पत्रिकाओं तथा शोध प्रबन्ध काव्य, कथा साहित्य आदि विविध ग्रंथों का प्रकाशन करना।

3. शिक्षण संस्थायें, व्यायाम शालायें. मनोरंजनगृह तथा अन्य खेलकूद की गतिविधियों के प्रसार हेतु क्लब स्थापित करना, खेलकूद के आयोजन स्पर्धायें आयोजित करना तथा नैतिक शिक्षा प्रसार हेतु व्याख्यान शालाएं स्थापित करना।

4. बौद्धिक विकास की दृष्टि से उपर्युक्त स्थानों पर स्कूल, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापन करना।

5. शिक्षाकोष स्थापित व संचालित करना तथा छात्र-छात्राओं, को छात्रवृति बुक बैंकस् की सुविधा जटाना, छात्रावासों की स्थापना व संचालन करना।

6. मेधावी, विद्वानों, समाज सेवीयों, साहित्यकारों तथा विशिष्ट प्रतिभा संपन्न जनों को सम्मानित करना।

7. समाज में व्याप्त दहेज प्रथा तथा फिजूल खर्ची जैसी बुराईयों को समाप्त करने की दृष्टि से सामूहिक विवाह तथा अन्य ऐसे प्रकार के आयोजनों को करना या करवाना।

8. समाज सेवा के विभिन्न उपयोगी कार्य करना।

Scanned with CamScanner

9. सामाजिक स्तर पर संस्था के सदस्यों का विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी व अन्य विभाग/कार्यालयों उनके सामाजिक उत्थान हेतु प्रतिनिधित्व करना।

10. सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु चौरसिया भवनों की आवश्यकतानुसार स्थापना व संचालन करना।

11. शासन की ओर से विभिन्न योजनाओं की जानकारी संबधित सदस्यों तक पहुँचाना तथा उनका लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक मदद करना।

12. उपरोक्त कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार चल अचल सम्पत्ति खरीदना, दान-स्वरूप प्राप्त करना, निर्मित करना तथा कार्य संचालन से लिए सदस्यों व अन्य व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना।

3. समस्त आय तथा उपार्जित धन, चल-अचल सम्पत्ति जो इस संस्था की होगी, उसका पूर्णतः उपयोग तथा प्रयोग संस्था में मेमोरेन्डा (संगठन स्मति लेख) में वर्णित लक्ष्य तथा उद्देश्यों के लिए किया जायेगा तथा कोई लाभ जो हो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी पूर्व या वर्तमान सदस्य को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी पूर्व या वर्तमान सदस्य के लिए कोई हित रखता हो लाभांश, वोनस लाभ या अन्य किसी भी प्रकार से भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जावेगा. संस्था का कोई सदस्य

Scanned with CamScanner

संस्था की चल व अचल सम्पत्ति में या संस्था के लाभ में कोई व्यक्तिगत दावा सदस्यता के नाते नहीं कर सकेगा।

4. कार्यकारिणी :-

सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1160 की धारा-2, द्वारा यथापेक्षित कार्यकारिणी के सदस्यों जिनको कि व्यवस्था कार्य सौंपे गये हैं, के नाम, पते, व्यवसाय एव पदनाम निम्न प्रकार से हैं :-

क्रमांक	नाम	पता	व्यवसाय	संस्था में पद
1.	श्री प्रशांत चौरसिया	ए-44 शाह-पुरा. भोपाल-16 मध्यप्रदेश	सर्विस	राष्ट्रीय अध्यक्ष.
2.	श्री गंगा प्रसाद चौरसिया सुपुत्र मुन्दरशाह	मो. खाजपुग, पटना विहार.	व्यापार	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
3.	श्री ललिताशरण चौरसिया	60, आदर्श नगर, शिवपुरी (मध्यप्रदेश)	सविस	महामन्त्री
4.	श्री रमेश चौरसिया	मो. चावडी बाजार, ग्वालियर (म.प्र)	व्यापार	कोषाध्यक्ष.

Scanned with CamScanner

5.	श्री अशोक चौरसिया	एडवोकेट मो. जैन मुहाल छतरपुर (म.प्र.)	एडवोकेट	संगठन मन्त्री
6.	श्री विलासीराम मोदी	68, रेलवे कालोनी वर्कशाप कोटा (राज.)	नौकरी	प्रचार मंत्री
7.	श्री सुरेश कुमार चौरसिया	बोर्ड कालोनी, रविशंकर नगर, भोपाल	नौकरी	कार्यालय मंत्री
8.	श्री वेदप्रकाश चौरसिया	5466 घंटाघर चांदनीचौक दिल्ली-6	व्यवसाय	क्षे. उपाध्यक्ष (उत्तर)
9.	श्री प्रताप भानु चौरसिया	4361, गली भैंरोंवाली नई सड़क दिल्ली-6	व्यवसाय	क्षेत्रीय मंत्री (उत्तर)
10.	श्री महेन्द्र कुमार मोदी	सी-305, शिवेशक्ति काम, एस. व्ही रोड, दहिसर पूर्व बंबई-63	व्यवसाय	क्षेत्रीय उपाध्यक्ष (दक्षिण)

Scanned with CamScanner

11.	श्री जगदीश चौरसिया	बी-310, राजश्री बिल्डिंग सहार रोड अंधेरी पूर्व बम्बई-98	सर्विस	क्षेत्रीय मंत्री (दक्षिण)
12.	श्री आर.के. प्रसाद	द्वारा-डा. प्रेमा चौरसिया बड़ी मंडिया सदर अस्पताल रोड आरा-1 भोजपुर	सर्विस	क्षेत्रीय उपाध्यक्ष (पूर्व)
13.	श्री शिव पूजन राम चौरसिया	44, तारक, प्रामणिक रोड कलकत्ता-6	सर्विस	क्षेत्रीय मंत्री (पूर्व)
14.	डा. बंशीलाल चौरसिया	वरिष्ठ शल्य चिकित्सक, सर्किला हाउस, मो. नया पुरा कोटा (राज.)	सर्विस	क्षेत्रीय उपाध्यक्ष (पश्चिम)
15.	श्री रामनारायण चौरसिया	मो. ए.बी. रोड. व्यावरा जिला राजगढ़ म.प्र.	व्यवसाय	क्षेत्रीय मंत्री (पश्चिम)

Scanned with CamScanner

नियम तथा उपनियम

1. संस्था का नाम :- संस्था का नाम "अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा" होगा।

2. कार्यक्षेत्र :- इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत (केन्द्र शासित देश नेपाल, भूटान, सिक्कम सहित) होगा। महासभा के कार्य संचालन की सुविधा की दृष्टि से सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र को निम्न नुमार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है :-

(अ) पूर्वी क्षेत्र : मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, भूटान, सिक्किम, नेपाल।

(ब) पश्चिमी क्षेत्र : मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात

(स) उत्तर क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, देहली, हरियाणा, पंजाब, हिमालच, जम्मू कश्मीर।

(द) दक्षिण क्षेत्र : महाराष्ट्र, आन्ध्र, तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक, गोआ, दमन, डियू, अंडमान, निकोबार।

3. सदस्यता - सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक होंगी:-

Scanned with CamScanner

1. कोई भी व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष किसकी उम्र-18 वर्ष से कम की न हो, जिसमें सरकारी नौकरी भी शामिल है, वह सदस्य बन सकता है।

2. किसी प्रकार का नैतिक दोषी न हो, तथा किसी भी अपराध में न्यायालय में किसी प्रकार से लांछित न किया गया हो।

3. उद्देश्यों में अपनी पूर्ण आस्था रखता हो, तथा नियम एवं उपनियमों को पालन करने का वचन बद्ध हो।

4. प्रत्येक जनवरी के महीने में प्रति तीन वर्ष के बाद चुनाव हुआ करेगा।

5. किसी भी सदस्य की सदस्यता नियम के विरुद्ध समाप्त नहीं की जाएगी, उसकी सूचना सदस्यों को दी जायेगी।

6. यदि समिति किसी को मेम्बर बनाने से इंकार करेगी तो उसकी सूचना भी देगी।

4. सदस्यता के प्रकार-

   1. संरक्षक सदस्य

   2. आजीवन सदस्य

   3. साधारण सदस्य

5. सदस्यता शुल्क-

Scanned with CamScanner

जिस वर्ग की सदस्यता के लिये आवेदन किया जाये, उसका शुल्क निम्नानुसार देय होगाः-

(अ) संरक्षक सदस्य - रुपये 1000/- से अधिक राशि जमा कराने वाले महासभा के संरक्षक सदस्य होंगे। महासभा के पूर्व पदाधिकारियों को जिन्होंने समाज सेवा का. अद्वितीय कार्य किया हो, भी संरक्षक सदस्य के रूप में लिया जा सकेगा।

(ब) आजीवन सदस्य - जिन व्यक्तियों द्वारा रुपये 250/- प्रथम एक मुश्त जमा कराये जावेंगे, वह व्यक्ति महा सभा का आजीवन सदस्य होगा।

(स) साधारण सदस्य - रुपये 20/- प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद रुपये 10/- वार्षिक जमा कराने वाले सदस्य महासभा के साधारण सदस्य होंगे। ऐसे सदस्यों से सामान्यतः महासभा के 3 वर्ष के कार्यकाल का शुल्क एक बार ही जमा कराया जायेगा।

6. **सदस्यता से वंचित होगा-**

1. त्यागपत्र देने पर

2. मत्यु अथवा पागल हो जाने पर

3. नियम एवं उप नियमों के उल्लंघन करने पर

4. किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दंडित किए जाने पर

Scanned with CamScanner

5. सदस्यता समाप्ति की सूचना सदस्य को दी जायेगी

6. लगातार तीन माह का चन्दा न देने की अवस्था में

7. **अपील** – सभी अपीलें महासभा की आम सभा में की जा सकती हैं आम सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

8. **पुनः प्रवेश** – यदि संबन्धित सदस्य सारी पिछली रकम जमा करा देगा तो उसे पुनः प्रवेश दिया जा सकता है। इस संबंध में आम सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

9. **सदस्यों का अधिकार–**

(क) हर सदस्य को साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार होगा।

(ख) दो सप्ताह का नोटिस देकर कार्यकारिणी की अनुमति से महासभा के रिकार्ड चैक करने का अधिकार होगा।

(ग) समिति के चुनाव में वोट देने का अधिकार हर सदस्य को होगा।

(घ) एक समय में एक पद के लिए कोई भी सदस्य चुनाव में लड़ सकता है।

10. महासभा की इस कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे :–

Scanned with CamScanner

कम से कम 15 और अधिक से अधिक 55 सदस्य होंगें।

राष्ट्रीय अध्यक्ष	–	एक
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	–	एक
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष	–	चार
महामन्त्री	–	एक
क्षेत्रीय मन्त्री	–	चार
संगठन मन्त्री	–	एक
प्रचार मन्त्री	–	एक
कार्यालय मन्त्री	–	एक
कोषाध्यक्ष	–	एक

11. महासभा के कार्यकारिणी के कर्तव्य :-

(क) महासभा की कार्यकारिणी की बैठक 1 वर्ष में एक बार होनी अनिवार्य होगी, इसके लिए सात दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। आपात कालीन बैठक तत्काल बुलाई जा सकेगी।

(ख) समिति के समस्त कार्यो की देखभाल कार्यकारिणी करेगी।

Scanned with CamScanner

(ग) समिति के कार्यों के लिए नौकर आदि रखना, निकालना अथवा उनका वेतन बढ़ाना या घटाना आदि-आदि का कार्यकारिणी के जिम्मे होगा।

12. **प्रबन्ध-** कोष व्यवस्था सहित महासभा के सभी चल एवं अचल सम्पत्ति के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व कार्यकारिणी पर ही होगा।

13. **महासभा की साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य-**

(क) महासभा के समस्त सदस्यों को ..... किया जाएगा, इसकी बैठक वर्ष के बाद होनी अनिवार्य होगी, जिसकी सूचना दस दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी।

(ख) बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के लिये 1/3, सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(ग) महासभा की कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्षो के बाद गुप्त मतदान द्वारा साधारण सभा में हुआ करेगा।

(घ) महासभा का समस्त आय-व्यय का ब्यौरा आडिट करवाकर साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जिसकी पुष्टि साधारण सभा करेंगी।

14. **महासभी की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः-**

1. **राष्ट्रीय अध्यक्ष**

Scanned with CamScanner

(क) साधारण सभा और महासभा की कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कार्य को सुचारु रूप से चलाने के आदेश देगा।

(ख) महासभा के सभी कार्यों की देखभाल करेगा।

(ग) बराबर मत आने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर महासभा के कार्य हेतु रुपये 500/- तक व्यय करने का अधिकार होगा, इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

2. **राष्ट्रीय उपाध्यक्ष** – राष्ट्रीय अध्यक्ष का दीर्घकालीन अनुपस्थिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय. अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग किया जायेगा।

3. **महामन्त्री–**

(क) समिति/एसो. की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी बैठकों को बुलाना, कार्यवाही लिखना, नियमों को क्रियान्वयन कराना।

(ख) वार्षिक विवरण तैयार करके साधारण सभा में प्रस्तुत करेंगे।

(ग) समस्त सदस्यों का विवरण रखेंगे।

Scanned with CamScanner

4. **क्षेत्रीय उपाध्यक्ष** – राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री के निर्देश पर महासभा के सगठन को मजबूत करने हेतु सभी प्रकार के प्रयास करना एवं सुझाव देना।

5. **क्षेत्रीय मन्त्री–** महामन्त्री के समानाअपने क्षेत्रों से अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

6. **कोषाध्यक्ष** –

(क) यह संस्था की आय–व्यय का हिसाब किताब सुचारू रूप से रखेंगे।

(ख) राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामन्त्री, एवं कार्यकारिणी द्वारा सभी बिलों का भुगतान रसीद लेकर करेंगे।

(ग) चन्दा इकट्ठा करेंगें।

(घ) महासभा के कार्य हेतु 500/– रु. अपने पास रख सकेंगे।

7. **संगठन मन्त्री** – महासभा के संगठन को मजबूत करना एवं , समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों में काम करना।

8. **प्रचार मन्त्री** – राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामन्त्री के निर्देशों पर महासभा के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

9. **कार्यालय मंत्री** – राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय के कार्य को देखना तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहायता करना ।

Scanned with CamScanner

10. **संयोजिका महिला मण्डल–**

(क) महासभा की महिला सदस्यों में जागति लाना, सदस्य संख्या बढ़ाना एवं संगठन को मजबूत करना।

(ख) महामन्त्री के समान महिला मण्डल में अधिकारी एवं कर्तव्यों का पालन करना।

14. **उप समितियों का गठन–**

1. कार्य संचालन के लिए निम्नानुसार कमेठियां गठित की जायेंगी।

अ. प्रान्तीय सभा– प्रान्तीय स्तर पर गठित इस सभा में 8 पदाधिकारी एवं 21 सदस्य होंगे, जो महासभा से सम्बद्ध होकर कार्य करेगी।

ब. जिला समिति– प्रत्येक जिले में स्थानीय जिला समिति में 8 पदाधिकारी तथा 15 सदस्य रखे जायेगे, जो प्रान्तीय सभा से सम्बद्ध होकर कार्य करेगी।

स. नगर समिति – जहां समाज की आबादी 10 परिवारों से अधिक हो, वहां नगर समिति का गठन किया जावेगा जिसमें 08 पदाधिकारी एवं 15 सदस्य तक रखे जा सकेंगे। यह अपनी जिला समिति से सम्बद्ध होकर कार्य करेगी।

Scanned with CamScanner

2. उपरोक्त सभी समितियां इस प्रकार महासभा से सम्बन्ध रहकर अपनी शीर्ष समितियों (सभाओं) के निर्देशन व नियंत्रण में कार्य करेंगे, तथा अपने क्षेत्र में कार्यकारिणी तथा अन्य पदाधिकारियों के समान नियम-14 में वणित अधिकारों का उपयोग करेगी।

16. आय के साधन-

(क) चन्दे द्वारा।

(ख) सदस्यता शुल्क द्वारा ।

(ग) अनुदान द्वारा ।

(घ) महासभा की जो भी आय होगी, उसकी महासभा के उद्देश्यों में ही उपयोग किया जायेगा।

17. धन की सुरक्षा-महासभा के धन की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा और रुपया निकलवाने के लिए कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामन्त्री में से किसी एक के हस्ताक्षर से रुपया निकाला जा सकेगा। हर वर्ष के हिसाब किताब का ब्यौरा कार्यकारिणी सभा से नियुक्त एक क्वालिफाइड आडिटर से आडिट करवाया जायेगा।

Scanned with CamScanner

18. **त्यागपत्र देना–** महासभा का कोई भी सदस्य अथवा पदाधिकारी यदि त्यागपत्र देता है, तो उसे कार्यकारिणी सभा से प्रस्तुत किया जाएगा और कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम होगा।

19. **कोरम (गणपूर्ति)** – कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा को देश के किसी भी स्थान पर बुलाई जा सकेगी। इन बैठकों में 1/3, सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। इससे कम की उपस्थिति में बैठक स्थगित कर दी जाएगी और स्थगित की गई बैठक उसी तिथि स्थान पर तीन घण्टे पश्चात की जा सकेगी और पुनः की गई बैठक में कोरम का पूरा होना अनिवार्य नहीं होगा।

20. **रिक्त स्थान–** किसी भी पदाधिकारी के त्यागपत्र देने से जो स्थान रिक्त होगा, उसकी पूर्ति कार्यकारिणी कर सकेगी, किन्तु उसकी पुष्टि साधारण सभा करेगी।

21. **चुनाव प्रणाली–** कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा में गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा बराबर मत आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना एक कास्टींग वोट देने का अधिकार होगा। जिन सदस्यों को चन्दा दिया जाना बकाया होगा उन सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

22. **न्यायालय धारा–** यदि न्यायालय में कोई मुकदमा दायर करना पड़ा तो वह महासभा के नाम से ही दायर किया जायेगा और महासभा के नाम से मुकदमा दायर करने अथवा उसकी पैरवी करने का

Scanned with CamScanner

अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामन्त्री को ही होगा जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धाराके अनुसार होगा।

23. **नियम एवं उपनियम में संशोधन धारा-१२-** महासभा के किसी भी नियम एवं उपनियम में यदि कोई संशोधन करना अनिवार्य होगा तो उसे कार्यकारिणी कर सकेगी, किन्तु उसी की पुष्टि साधारण सभा करेगी यह पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा-12, के अनुसार ही होगा।

24. **ज्ञापन पत्र में संशोधन धारा-१२ एवं १२-ए-** यदि ज्ञापन पत्र में कोई संशोधन करना अनिवार्य हुआ तो साधारण सभा के 2/3, सदस्यों के बहुमत से समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा-12 एवं 12-ए, के अनुसार किया जा सकेगा।

25. कार्यकारिणी का समय कार्यकारिणी का समय तीन वर्ष का होगा जो सभा में हुए चुनाव की तिथी से माना जायेगा।

26. **वित्तीय वर्ष -** संघ की वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा।

27. **आडिट (लेखा परीक्षक)-** समिती के हिसाब की किताव की आडिट करवा कर साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आडीटर की नियुक्ति कार्यकारिणी करेगी।

Scanned with CamScanner

28. **सूचना देना–** किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना विधिवत साधारण सभा की सूचना दस दिन पूर्व कार्यकारिणी सभा की बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व तथा आपातकालीन बैठक 2 घण्टे के पश्चात बुलाई जा सकेगी।

29. **कार्यकारिणी की वार्षिक सूची धारा–४–** हर वर्ष के बाद कार्यकारिणी की सूची सोसायटीज पंजीकर अधिनियम 1860 की धारा–4, के अनुसार रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज दिल्ली में जमा की जायेंगी।

30. **विघटन धारा–१३–** महासभा की साधारण सभा 75, प्रतिशत सदस्यों के बहुमत से इस महासभा को विघटित किया जा सकता है, जो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860, की धारा–13 के अनुसार होगा।

31. **निपटान धारा–१४–** उपरोक्तानुसार जो संस्था विघटित होने के पश्चात उसकी चल व अचल सम्पत्ति को सदस्यों में नहीं बांटा जायेगा अपितु सस्था पंजीकरण अधिनियम 1860, की धारा–14, के अनुसार 75 प्रतिशत सदस्यों के बहुमत से उसे ही ऐसे ही समान उद्देश्यों वाली सभा समिति को दान के रूप में दे दिया जायेगा।

32. **अधिनियम प्रावधान –** संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की सभी धाराओं के अंतर्गत सभी उपवन्ध इस सोसायटी पर लागू होंगे।

Scanned with CamScanner

प्रमाणित किया जाता है, कि यह महासभा के नियमों एवं उपनियमों का सही प्रति हैं।

(हस्ता.)	(हस्ता.)	(हस्ता.)
प्रशांत चौरसिया	ललिताशरण चौरसिया	रमेश चौरसिया (ग्वालियर)
राष्ट्रीय अध्यक्ष	महामन्त्री	कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner